केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel: 011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

F.No. 11044/3(1)/(LDCE)/2016-17/-KVS(E-1)/2101-2130 Date: 01.09.2021

ज्ञापन

वर्ष 2017-18 के लिए उप-प्राचार्य के पद हेतु सीमित विभागीय परीक्षा (LDE) के परिणाम अनुसार निम्नलिखित स्नातकोत्तर शिक्षकों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवेल- 10 (रु० 56,100- 1,77,500) में उप-प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रारम्भ में उन्हें निम्न विवरण अनुसार उप-प्राचार्य के रूप में तैनात किया जाता है:-

क्र.सं	अनुक्रमांक	स्नातकोत्तर शिक्षक का नाम	तैनाती का वर्तमान केन्द्रीय विद्यालय एवं संभाग	के. वि./ संभाग जहां उप-प्राचार्य के रूप में तैनाती दी गई है।
1		2	3	4
UNRESERVED (EXTENDED PANEL)				
1	00430099	Sh. Sunil Kumar Sharma	Allahabad ,Manuari RO Varanasi	AFS BAREILLY RO Lucknow
2	00230024	Sh. Shobhan Babu	Karimnagar RO Hyderabad	GACHIBOWLI RO Hyderabad
3	00430624	Ms. Ritu Sharma	Gole Market(Ist Shift) RO Delhi	ANDREWSGANJ (Ist Shift) RO Delhi
4	00330528	Sh. A.K.Pathak	Barauni, HFC RO Patna	UPPER CAMP DEHRADUN RO Dehradun
5	00433100	Sh. Baboo Singh Rathore	AFS No.3, Bikaner RO Jaipur	No.2, JAIPUR RO Jaipur
6	00330404	Sh. Sanjay Kansal	Narangi, Guwahati RO Guwahati	No.1,BHUBNESHWAR (Ist Shift) RO Bhubneshwar
7	00432359	Sh.A.K.Singh	Shalimar Bagh (2nd Shift) RO Delhi	No.1, ITANAGAR RO Tinsukia
SCHEDULED CASTE CATEGORY (EXTENDED PANEL)				
1	00432264	Sh. Mahesh Kumar	Basti RO Varanasi	*NAL BENGALURU RO Bengaluru
SCHEDULED TRIBE CATEGORY (EXTENDED PANEL)				
1	00432891	Sh. R.K.Meena	Mt. Abu RO Jaipur	No.1 PALAKKAD RO ERNAKULAM

(कुल 09 अभ्यार्थी)

* Sh. Mahesh Kumar has been selected as Vice Principal through both i.e Direct Recruitment and LDE. He is directed to mention categorically his choice of mode of appointment (Direct or LDE) in his acceptance letter.

लगातार....2......

2. यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति केवल ई. मेल द्वारा kvs.estt.1@gmail.com पर भेजें और दिनांक 21.09.2021 तक तैनाती के वर्णित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. उप-प्राचार्य के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवेल में उनका वेतन निर्धारण एफ.आर 22(I)(a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या –1/1/2008-IC दिनांक 13.09.2008 में दिये गए निर्दशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि में करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते/ करती हैं और / या स्वीकृति देने के बाद निर्धारित तिथि तक नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असफल होते/ होती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उनके नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

1/9/21
(अनुराग भटनागर)
सहायक आयुक्त (स्था.1)

<u>प्रतिलिपि</u>:

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.),नई दिल्ली।
2. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, संबन्धित संभाग- सूचनार्थ।
3. उपायुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली- सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, संबन्धित विद्यालय-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय, जहां स्नातकोत्तर शिक्षक/ शिक्षिका वर्तमान में कार्यरत हैं, को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक/ शिक्षिका की कार्यमुक्ति करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही उनकी कार्यमुक्ति की तिथि आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को केवल ई-मेल द्वारा **kvs.estt.1@gmail.com** पर सूचित करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि विरमित आदेश जारी करते समय संलग्न प्रपत्र **(check list for verification & validation of candidature)** भरकर प्रार्थी की पात्रता सुनिश्चित कर उसे विरमित आदेश के साथ संलग्न करें। यदि संबन्धित शिक्षक/शिक्षिका अपात्र है या उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ सतर्कता मामला लंबित है तो उन्हें विरमित नहीं करें और इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को ई-मेल द्वारा भेजें।
6. प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय, जहां उप-प्राचार्य के पद पर तैनाती की गयी है, को इस अनुरोध के साथ कि संबन्धित स्नातकोत्तर शिक्षक/शिक्षिका के विरमित आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र **(check list for verification & validation of candidature)** से उनकी उप-प्राचार्य के पद पर पात्रता सुनिश्चित कर ही कार्यभारग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें तथा सभी संबन्धित दस्तावेज़ उनकी पत्रावली में रख दें।
7. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस ज्ञापन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) की वैबसाइट पर प्रकाशित करें।
8. सहायक आयुक्त (प्रशा/आरपीएस), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली- सूचनार्थ।
9. गार्ड फ़ाइल।